



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227171
CG-DL-E-25052021-227171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943

No. 277]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

सा.का.नि. 343(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 172 (अ) तारीख 11 मार्च, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 11 मार्च, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,--

(क) नियम 115अ, अर्थात् संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर यान को 115अ के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

(ख) नियम 115अ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"115ट श्रेणी एल, श्रेणी एम और श्रेणी एन के एनहाइड्रोस इथेनोल या गैसोलीन सहित इथेनोल के सम्मिश्रण पर चलने वाले मोटर यानों के लिए अपेक्षाएं।

एनहाइड्रोस इथेनोल या उक्त नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ईंधन विशिष्टताओं के साथ गैसोलीन सहित इथेनोल के मिश्रण पर चलने वाले एल,एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों की सुरक्षा अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 171:2021 के अनुरूप होगी, जब तक कि संगत मानक, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (2016 का) के अंतर्गत अधिसूचित न हो।"

[फा. सं. आरटी-11036/52/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 336 (अ) तारीख 4 मई, 2021 द्वारा अंतिम रूप में संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2021

G.S.R. 343(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 172(E), dated the 11th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 11th March, 2021;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989,

(a) Rule 115-I namely, Requirements for the motor vehicles running on compressed gaseous hydrogen fuel cell, shall be renumbered as 115-J.

(b) after rule 115-J, the following rule, 115-K shall be inserted, namely:—

“115-K. Requirements for motor vehicles of Categories L,M and N running on anhydrous ethanol or blends of ethanol with gasoline

The safety requirements of motor vehicles of Categories L,M and N running on anhydrous ethanol or blends of ethanol with gasoline, with fuel specifications as specified under the said rules, shall be in accordance with AIS 171:2021, as amended from time to time, till the corresponding Standard is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (of 2016).”

[F. No. RT-11036/52/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 336(E) dated the 4th May, 2021.